

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215167
CG-DL-E-06012020-215167

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]
No. 06]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 08(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 07 सितम्बर, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 280 तारीख 29 अगस्त, 2019 के हिन्दी पाठ के पृष्ठ 1348 पर, स्तंभ - 7 में अनिवार्य शीर्षक के अधीन मद (i) में "अशोशिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी" के स्थान पर "अशोशिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग" पढ़ा जाएगा।

[फा.सं. ए-12018/01/2015-आईएसएच-1]

अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th December, 2019

G.S.R. 08(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 280 dated the 29th August, 2019, published in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section(i) dated the 07th September, 2019, at page 1353, in serial No. 2 relating to the post of Deputy Director (Staff Training / Productivity) in column (7), under the heading 'Essential', in item (i), for 'Associate Member of Institute of Technology (AMIE)' read 'Associate Member of Institute of Engineering (AMIE)'.

[F. No. A-12018/01/2015-ISH-1]

ANURADHA PRASAD, Addl. Secy.

83 GI/2020